संरक्षा बुलेटिन

मध्य रेलवे, सोलापुर मंडल

मासिक बुलेटिन नं - 03, जुलाई - 2018.

****

हमारा लक्ष्य दुघर्टना विहीन द्रुत रेल संचालन

****

सोलापुर मंडल पर निम्नलिखित असामान्य घटनाएं हुए हैं :-

1. दिनांक 29.06.2018 को अल्ट्राटेक साइडिंग / होटगी में 42 बी सी एन (लोडेड) वैगनों का रोलिंग डाउन और होटगी में करीब 04.25 बजे प्वाइंट नंबर 119 पर 4 बी सी एन लोडेड वैगनों का डीरेलमेंट ।

कारण : 1. अल्ट्राटेक साइडिंग द्वारा लोडिंग के बाद लोड की ठीक तरह से सुरक्षित रखना और शंटिंग संचालन सुनिश्चित करने में असफल रहें।(सहायक नियम- 5.20-2 'क' का उल्लंघन)

2. डिरेलिंग स्विच बंद स्थिति में थे । (सहायक नियम 3.50-1 का उल्लंघन)।

3. होटगी स्टेशन के शंटिंग कर्मचारी यह सुनिश्चित करने में असफल रहे कि डीरेलिंग स्विच खुले स्थिति में रखे जाते हैं। (सहायक नियम 3.50-1).

4. डीरेलिंग स्विच खुले स्थिति में रखे जाने की पुष्टि और साइडिंग से लोड की समूची आगमन सुनिश्चत करने के बाद शंटिंग कर्मचारियों से पावती प्राप्त करने में उप स्टेशन प्रबंधक / होटगी असफल रहे । (स्टेशन संचालन नियम की पैरा -8.6.4 (ख) - 3 का उल्लंघन) !

5. सीनियर सेक्शन इंजीनियर / जुनियर इंजीनियर/रेलपथ द्वारा उनके आवधिक निरीक्षणों के दौरान डीरेलिंग स्विचों की स्थिति से संबंधित जानकारी निरीक्षण टिप्पणी में उल्लेख नहीं किया गया । (इंजीनियरी नियमावली के अनुसार)

जिम्मेवारी : 1. मुख्यत: अल्ट्राटेक साइडिंग / होटगी

: 2. दिव्तीय : उप स्टेशन प्रबंधक / होटगी, शंटिंग जमादार / होटगी ।

: 3. दोषी: स्टेशन प्रबंधक / होटगी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर (रेल पथ) / होटगी एवं दुधनी ।

नियम का उल्लंघन : 1. **साधारण नियम** - 3.50, **सहायक नियम** - 3.50 - 1 (क), **सहायक नियम** - 5.21 - 2, **स्टेशन संचालन नियम की पैरा** 8.6.4 (ख) - 3

2. अल्ट्राटेक / होटगी **द्वारा करार की धारा** -17

3. **इंजीनियरीं विभाग के अधिकारी द्वारा निरीक्षण नियमावली ।**

2. दिनांक 07.07.2018 को दुधनी स्टेशन पर गाडी क्रमांक 11013 डाउन लोकमान्य तिलक टर्मिनस - कोयंबतुर एक्सप्रेस गाड़ी की रुकौनी ।

कारण : उप स्टेशन प्रबंधक / दुधनी द्वारा प्वाइंट नंबर 105 का सेटिंग सुनिश्चित न करते हुए, लोको पायलट को प्राधिकार पत्र जारी किया गया (प्वाइंट नंबर - 105 की सही सेटिंग एवं लॉकिंग सुनिश्चित करने में असफल रहे।).

जिम्मेवारी : **मुख्यत: - उप स्टेशन प्रबंधक / दुधनी**
अप्रत्यक्ष (गौणत:) स्टेशन मास्टर / दुधनी

नियम का उल्लंघन : साधारण एवं सहायक नियम की सहायक नियम - 3.68-1 (घ) (i) ।

अन्य मंडल / क्षेत्र में हुए असामान्य घटनाएं

1. दिनांक 24.07.2018 को गाड़ी नंबर 17416 कोल्हापुर - तिरुपति हरीप्रिया एक्सप्रेस के आउटगोइंग लोको नंबर 40314 - डब्ल्यू डी पी - 4 (गुंतकल बेस) का कोल्हापुर में डीरेलमेंट ।

कारण : **: लोको पायलट (शंटर) द्वारा शट डाउन स्थिति में लोको का कार्यभार लेने के बाद लोको का क्रैंक किया गया लेकिन, ब्रेक सिलेंडर प्रेशर सुनिश्चित किए बिना हैंड ब्रेक रीलिज किए गए और लकड़ी के पच्चड निकाल दिए गए, जिससे लोको रोल डाउन होकर डीरेल हुआ। (सहायक नियम** - 4.32-1 **(ग)** का उल्लंघन)

जिम्मेवारी : **लोको पायलट** (शंटर)

नियम का उल्लंघन : **सहायक** नियम - नियम 4.32-i (ग)

2. दिनांक 20.07.2018 को बेगंलुरु मंडल के CSDR - BYPL के बीच 1/700-800 कि.मी पर गाड़ी नंबर 12628 नई दिल्ली - बेगंलुरु कर्नाटक एक्सप्रेस के लोको नंबर 40165 डब्ल्यू डी पी - 4 (पुणे बेस) का डीरेलमेंट ।

कारण : CSDR - BYPL के बीच 1/700-800 कि.मी पर क्रासिंग हिस्से में प्वाइंट नंबर 4 बी पर लोको का फ्रंट पेअर व्हील डीरेल हुआ । प्वाइंट का सी एम एस क्रासिंग बदल दिया था और 1 में 8½ टर्न आउट के इनर कर्व पर चेक रेल जोडा नहीं गया था । सम्मुख दिशा (फेसिंग) में (6.3 डिग्री कर्व) आउटर व्हील (पहिया) अनगाइडेड रहने के कारण क्रासिंग के नोक पर चढ़ के डिरेल हुआ ।

जिम्मेवारी : सीनियर सेक्शन इंजीनियर / रेल पथ

****

रेल पथ से संबंधित कुछ महत्वपर्ण पैरामीटर

- टर्न आउट में चेक रेल गैप - 41 मि मि से 44 मि मि तक
- समपार फाटक पर चेक रेल गैप - 51 मि मि से 57 मि मि तक
- ब्रिजों (पुलों) पर गार्ड रेल गैप - 250 मि मि से ± 25 मि मि तक
- समपार फाटक की यातायात गणन - 3 वर्ष में एकबार
- पी एस सी स्लीपर्स सहित समपार फाटक की ओवरहालिंग - दो वर्ष में एकबार
- हाई लेवल प्लेटफार्म की उँचाई - 760 मि मि से 840 मि मि तक
- ट्रैक के मध्य से पैसेंजर प्लेटफार्म कॉपिंग तक हॉरिजन्टली (क्षैतिज) दूरी :-
  अधिकतम - 1680 मि मि
  न्यूनतम - 1670 मि मि
- ओपन स्विच का अगला भाग (टो) और स्टॉक रेल के बीच न्यूनतम दूरी
  1) मौजुदा कार्यों के लिए - 95 मि मि
  2) नए कार्यों का वर्तमान कार्यों में परिवर्तन के लिए - 115 मि मि

(स्टॉक रेल के गेज फेस और टंग रेल बैक फेस के बीच पर्याप्त अन्तराल (क्लिअरन्स) प्राप्त करने के उद्देश से कर्वड स्विचों में क्लियअरन्स 160 मि मि तक बढ़ाया जा सकता है।)

(सुरेश कुमार एन.टी)
वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी,सोलापुर